

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 79/2012
संस्थित दिनांक-06.03.2012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-अंजड, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

कमलसिंह पिता भुरेसिंह मण्डलोई
आयु-53 वर्ष, जाति-राजपूत,
व्यवसाय-नौकरी, निवासी-शिक्षक कॉलोनी,
अंजड, जिला बड़वानीअभियुक्त

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 14/01/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 24/12 के आधार पर दिनांक 25.01.12 को रात्रि 8-9 बजे शिव मंदिर के सामने सराफा बाजार अंजड में हीरो होण्डा ग्लैमर मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर शिवजी की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो माननववध की श्रेणी में नहीं आती है, भा.द.वि. की धारा-304(ए) का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा वाहन की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट सही होना स्वीकार किया है, अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्र. पी.7 एवं मैकेनिकल जांच रिपोर्ट पर प्र.पी.8 अंकित किया गया है, इस प्रकार मृतक शिवजी की मृत्यु होना तथा वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 सही स्थिति में होना भी स्वीकार किया है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.01.12 को थाना अंजड के प्रधान आरक्षक कमलसिंह आहत शिवजी की दुर्घटना में आहत होने की सूचना प्राप्त होने पर उसने चश्मदीद साक्षी जितेन्द्र के कथन लिये थे, जिसने उसे बताया कि अभियुक्त उसकी मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया था तथा शिवजी को टक्कर मार दी थी । जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया एवं कमलसिंह ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/12 दर्ज किया था, विवेचना में उपचार के दौरान शिवजी की मृत्यु होने से अभियुक्त के विरुद्ध

भा.द.वि. की धारा-304(ए) बढ़ाई जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे मोटरसायकल एवं दस्तावेज जप्त किये थे । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा-304(ए) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.12 को रात्रि 08:00 बजे शिव मंदिर के सामने सराफा बाजार अंजड़ में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए.0329 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक शिवजी की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षीगण जितेन्द्र पाटीदार (अ.सा.1), किशोर बर्मा (अ.सा.2), हितेन्द्र पाटीदार (अ.सा.3) एवं प्रधान आरक्षक कमलसिंह (अ.सा.4) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी जितेन्द्र (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता और देखकर भी नहीं पहचान सकता है । घटना 3 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 को शाम के समय की है, वह सराफा बाजार में अपने घर के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि एक मोटरसायकल चालक ने शिवजी को टक्कर मार दी है, जिससे उसके सिर में चोटे आई थीं, वह उसे अपनी मोटरसायकल पर बैठाकर अंजड़ अस्पताल लेकर गया था, जहां उसे आगे ईलाज के लिये बड़वानी भेजा था, फिर वहां से इंदौर अस्पताल भेजा था, जहां उसकी मृत्यु हो गयी थी । साक्षी का स्पष्ट कथन है कि उसने मोटरसायकल चालक को नहीं देखा था और मोटरसायकल का नंबर भी नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने नक्शा-मौका प्र.पी.1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है । इस साक्षी से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी द्वारा इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त को मोटरसायकल तेज गति से एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक को टक्कर मारते हुए देखा था, साक्षी ने स्पष्ट किया है उसे लोगों ने बताया था कि कमलसिंह दरबार ने टक्कर मारी थी । साक्षी ने पुलिस

कथन प्र.पी.2 में ए से ए भाग पुलिस को बताने से इन्कार किया है । साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि वह अभियुक्त को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि एक ही नाम के कई व्यक्ति होते हैं एवं जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी तथा अंधेरा भी हो गया था ।

8. साक्षी किशोर बर्मा (अ.सा.2), हितेन्द्र पाटीदार (अ.सा.3) ने भी अभियुक्त द्वारा मोटरसायकल को लोकमार्ग पर उतावलेपन तथा उपेक्षा से चलाकर मृतक शिवजी की टक्कर मारने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है । साक्षी किशोर बर्मा (अ.सा.2) का कथन है कि उसने सुना था कि सराफा के पास दुर्घटना हो गयी है । इस साक्षी से भी सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने न्यायालय के समस्त सुझावों से इन्कार किया है तथा स्पष्ट किया कि उसने दुर्घटना नहीं देखी थी ।

9. साक्षी हितेन्द्र पाटीदार (अ.सा.3) ने केवल इतना कथन किया है कि घटनास्थल पर एक मोटरसायकल एवं घायल व्यक्ति पड़ा था । अभियोजन की ओर से सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि अंजड़ बस स्टैंड की ओर से अभियुक्त कमल अपनी मोटरसायकल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा शिवजी को टक्कर मारी थी । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.3 का कथन देने से भी इन्कार किया है ।

10. साक्षी प्रधान आरक्षक कमलसिंह (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 31.01.12 को थाना अंजड़ में आहत शिवजी की प्री.एम.एल.सी. जांच हेतु प्राप्त होने पर उसने साक्षी जितेन्द्र पिता रामेश्वर के कथन लिये थे तो उसने बताया था कि अभियुक्त ने उसकी मोटरसायकल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर शिवजी को टक्कर मार दी थी । साक्षी का कथन है कि साक्षी जितेन्द्र ने उसे शिवजी को टक्कर मारने वाली हीरो होण्डा ग्लैमर मोटरसायकल का क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 भी बताया था । उसने उक्त जांच के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/12 दर्ज कर प्र.पी. 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.1 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने अभियुक्त के पेश करने पर हीरो होण्डा ग्लैमर मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 उसके दस्तावेजों एवं चालक अनुज्ञप्ति प्र.पी.5 के जप्ती पंचनामे द्वारा जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने साक्षियों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे । साक्षी का यह भी कथन है कि मृतक शिवजी की शव-परीक्षण रिपोर्ट डायरी के साथ प्राप्त हुई थी, जो अभियोग-पत्र के साथ संलग्न की थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल व्यस्ततम मार्ग है और कई वाहन निकलते हैं । यह भी स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन उसे कोई सूचना नहीं मिली थी एवं घटना के 5 दिन बाद उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर साक्षीगण के कथन असत्य आधार पर लेखबद्ध किये थे अथवा जितेन्द्र ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे । यह अस्वीकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है ।

11. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में प्रधान आरक्षक कमलसिंह (अ.सा.4) ने जिस साक्षी के कथन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, उक्त साक्षी जितेन्द्र (अ.सा.1) ने घटना के बारे में कोई भी जानकारी होने या कोई घटना देखने से स्पष्ट इन्कार किया है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है तथा यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 को लोकमार्ग पर तेज गति तथा उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर शिवजी को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो माननववध की श्रेणी में नहीं आती है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

12. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त कमलसिंह के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त कमलसिंह पिता भुरेसिंह, आयु-53 वर्ष, जाति-राजपूत निवासी शिक्षक कॉलोनी, अंजड़ जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

13. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम.ए. 0329 पूर्व से सुपुर्दगी पर है, बाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

15. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.